

(43)

(70)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(195)नविपि/जयपुर/2016

जयपुर, दिनांक

59 JUN 2017

जिला कलेक्टर,
(समस्त), राजस्थान।

विषय:- प्राधिकरण/न्यास क्षेत्र के ग्रामों से संबंधित कलेक्टर द्वारा किये जाने वाले राजस्व संबंधित पत्रावलियों के हस्तान्तरण बाबत।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक : प.1(195)नविपि/जयपुर/2016 दिनांक 24.05.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक प.1(95)नविपि/जयपुर/2016 दिनांक 01.08.16 जिसके द्वारा प्राधिकरण/न्यास क्षेत्र के ग्रामों से सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा किये किये जाने वाले राजस्व सम्बन्धित पत्रावलियों के हस्तान्तरण बाबत निर्देश दिए गये थे, को विज्ञा किया जाता है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्थायित्व शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभाग की साईट पर अपलोड किये जाने का श्रम करावें।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

(175)